न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 146/2016

1 रामकरण पुत्र भगुताराम जाति गुर्जर निवासी खोह तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
2 महिपाल सिंह नाहरसिंह जाति राजपूत निवासी गुड़ा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट्स

बनाम

1 रामनिवास पुत्र
2 बंशी पुत्र
3 प्रकाश पुत्र
4 किशोर पुत्र
5 सुरेन्द्र उर्फ पप्पु पुत्र
6 केशरी स्त्री रूड़ाराम जाति समस्त गुर्जर निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
7 भागीरथ पुत्र चन्द्राराम जाति गुर्जर निवासी ताल तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
7/1 रूघवीर
7/2 शीशराम पुत्र
7/3 सुमित्रा पुत्री स्व. भागीरथ जाति गुर्जर निवासी ताल तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
8 संतोष स्त्री उगमाराम उर्फ गुलाराम जाति गुर्जर निवासी ताल तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
9 रमेशकुमार पुत्र उगमाराम जाति गुर्जर निवासी ताल तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
10 रामकुमार पुत्र बिरजु जाति गुर्जर निवासी ताल तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
10/1 रेवती स्त्री
10/2 रामप्रताप पुत्र

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

10/3 रामसिंह पुत्र स्व. रामकुमार जाति गुर्जर निवासी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
11 सुवटी उर्फ सरस्वती स्त्री
12 शीशराम पुत्र
13 मोहनलाल पुत्र स्व. धाराराम जाति गुर्जर निवासी भितेरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
14 श्रीराम पुत्र स्व. धाराराम जाति गुर्जर निवासी ताल तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
14/1 प्रेम देवी स्त्री
14/2 मनोज पुत्र
14/3 कपिल पुत्र स्व. श्रीराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम भितेरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
15 भाताराम पुत्र
16 दलीप पुत्र
17 परसाराम पुत्र स्व. धाराराम जाति गुर्जर निवासी ताल तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
18 मृतक माली देवी स्त्री मातुराम जाति गुर्जर निवासी ताल तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
19 जयराम पुत्र भगुताराम जाति गुर्जर निवासी ताल तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ. धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955 अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 22.03.2016 बअदालत उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी मुकदमा उनवानी रामनिवास वगै. बनाम रामकुमार वगै. मु.नं. 84/2008 दावा बाबत घोषणात्मक खातेदारी

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 24/10/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 84/2008 में पारित निर्णय दिनांक 22.03.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 1582 रकबा 4.14 है., खसरा नम्बर 1599 रकबा 0.04 है. गैर मुमकिन कुआ, खसरा नम्बर 1600 रकबा 4.34 है., खसरा नम्बर 2250/1569 रकबा 0.20 है. सरहद राजस्व ग्राम बड़ाऊ तहसील खेतड़ी में स्थित है। उक्त जमीन के बाबत रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 9 ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणार्थ इस आशय का पेश किया कि उक्त जमीन महाबक्स उर्फ महासुख की थी उसने अपनी बहिन मनभरी के तीन पुत्र रूड़ाराम व भागीरथ तथा उगमाराम उर्फ गुलाराम के हक में बहिस्सा बराबर दिनांक 12.09.1975 को दान कर दिया। इस कारण रामनिवास के वारिसान रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 6 को 1/3 हक हिस्से का तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 7 को 1/3 हक हिस्से का तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 8 व 9 को संयुक्त रूप से 1/3 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस को बिना सुने एवं वकीलों द्वारा अदालत के कार्य बहिष्कार के दौरान बाला बाला रूप से दिनांक 22.03.2016 को डिक्री कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट की ओर से मौजुदा अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अभिभाषक संघ खेतड़ी ने उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी के न्यायालय का कार्य बहिष्कार कर रखा था। विचारण न्यायालय ने दिनांक 21.03.2016 को साक्ष्य प्रतिवादी गलत रूप से बन्द कर दिनांक 22.03.2016 को गलत

अनिल कुमार
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

रूप से निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित नहीं की है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस को साक्ष्य सबूत पेश करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया। उपरोक्त विवादित जमीन के संबंध में रेस्पोडेन्ट नम्बर 10 से 14 ने भी एक वाद उनवानी रामकुमार बनाम रामनिवास मु.नं. 158/2008 पेश किया था जिसको दिनांक. 16.04.2012 को दावा संख्या 84/2008 के साथ कन्सोलिडेट करके दावा संख्या 158/2008 को गलत रूप से खारिज कर दावा संख्या 84/2008 में मौजुदा निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित करने में कानूनी गलती की है। विचारण न्यायालय ने सिर्फ एक पक्षीय साक्ष्य सबूत के आधार पर तनकी संख्या 1 का निर्णय गलत रूप से रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 9 के हक में करने में कानूनी गलती की है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 9 ने विचारण न्यायालय के समक्ष दावा तथाकथित फर्जी दानपत्र दिनांकित 12.09.1975 के आधार पर किया है उक्त दानपत्र कुटरचित है। उक्त कुटरचित दानपत्र दिनांकित 12.09.1975 का अमल दावा दायरी से पूर्व करीब 33 साल तक नहीं हुआ। इस प्रकार 33 साल तक चुप रहना एवं महासिंह उर्फ महासुख उर्फ महाबक्शाराम के जीवनकाल तक तथाकथित दानपत्र के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करवाई की कार्यवाही नही की जबकि उक्त महासिंह उर्फ महासुख का देहान्त दिनांक 07.03. 1988 को होना स्वीकृत है। इस प्रकार उक्त महासुख के जीवनकाल में करीब 13 साल तक तथाकथित दानपत्र का उपयोग नहीं किया। इस चुपी से उनकी यह स्वीकृति रही कि महासुख ने विवादित जमीन का दानपत्र निष्पादित नहीं किया था व विबन्ध का सिद्धान्त लागु होता है। उक्त महासुख के देहान्त हो जाने के बाद विवादित जमीन में से 1/2 हिस्से की जमीन का नामान्तकरण उक्त महासुख की सगी बहन श्रीमती सारली के पौत्रगण रामकुमार व धाराराम के नाम दर्ज हुआ जिसको करीब 20 साल तक चुनौती नहीं दी गई। इसके अलावा तथाकथित दानपत्र के आधार पर रूड़ाराम ने अपने जीवनकाल में 1/3 हक हिस्से का नामान्तकरण दर्ज नहीं करवाया। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 7 व गुलाराम उर्फ उगमाराम व रेस्पोडेन्ट नम्बर 10 व 11 ने 1/2 हिस्से का नामान्तकरण दर्ज करवाया इस नामान्तकरण को भी करीब 11 साल तक चुनौती नहीं दी गई। उत्तराधिकार में नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 7 व उगमाराम व रेस्पोडेन्ट नम्बर 10 व 11 ने दर्ज करवाया है। इनकी स्वीकृति से यह जाहिर है कि तथाकथित दानपत्र कुटरचित है। तथाकथित दानपत्र के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

आधार पर दानग्रहण करना आवश्यक है इस बाबत तथाकथित दान ग्रहिता तीनों के हस्ताक्षर न होना विवादित रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 9 ने नहीं किया। दानपत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन नहीं करवाया। सन 1975 के बाद पैमाईस के दौरान दानपत्र के आधार पर इन्द्राजात नहीं करवावय। खतौनी संवत 2044. से 2063 उक्त महाबक्स के नाम दर्ज हुई जिसको चुनौती नहीं दी। राजस्व रिकार्ड के अनुसार उक्त महाबक्श के जीवनकाल में उसी का कब्जा विवादित जमीन पर रहा। उत्तराधिकार में जमीन ग्रहण की। इन बिन्दुओं पर गैर किये बिना निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित करने में कानूनी गलती की है। श्रीमती मनभरी का देहान्त उक्त महाबक्श के जीवनकाल में ही सन 1978 में हो गया था। उक्त महाबक्श की बहन श्रीमती सारली देवाराम की पत्नी थी व महाबक्श की सगी बहन होने से वारिस हुई। जमीन हड़पने की नियम से उक्त दस्तावेजात की कुटरचना कर छुपाये रखा व गलत रूप से नामान्तकरण में 1/2 हिस्सा उत्तराधिकार में दर्ज कर लिया व चुपचाप बैठ रहे व करीब 11 साल बाद में बदनियमती से गलत दावा कर दिया। इन बिन्दुओं पर विचार न कर निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित करने में कानूनी गलती की है। विवादित जमीन में रेस्पोडेन्ट नम्बर 11 से 14 व 17 का 6/28 हक हिस्सा था तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 10 का 1/4 हक हिस्सा था एवं इसी मुताबिक काबिज काश्त रहे। उक्त रेस्पोडेन्ट नम्बर 11 से 14 व 17 ने अपने 6/28 हक हिस्सा की जमीन व रेस्पोडेन्ट नम्बर 10 ने अपने 1/4 हक हिस्सा की जमीन जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक 21.03.2012 को अपीलान्टस को विक्रय कर अपीलान्टस के हक में उप पंजीयक खेतड़ी के यहां प्रतिफल के बदले कब्जे सहित जमीन विक्रय कर दिनांक 21.03.2012 को ही विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवा दिया। बरोज क्रय से क्रय शुदा जमीन पर अपीलान्टस का कब्जा काश्त है इस प्रकार अपीलान्ट एक सदभाविक केता हे। जिनके हक में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कानून से सदभाविक केता को निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाना जरूरी है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस के हक में हुये विक्रय पत्र पर निर्णय जैर बहस में कोई फाईडिंग नहीं दी। इस प्रकार जब तक अपीलान्टस के विक्रय पत्र पर कोई नेगेटिव एवं पोजिटीव फाईडिंग न्यायालय की नहीं आ जाती तब तक किसी व्यक्ति को खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

जैर बहस खारिज होने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वाद कथन व जवाबं दावे के आधार पर कुल 4 तनकीयात कायम की थी। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। प्रस्तुत प्रकरण में वाद के संबंध में वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी प्रदर्श–1 लगायत 3 व 5 एवं 6 तथा दानपत्र दिनांक 12.09.1975 प्रदर्श–4 प्रस्तुत किये गये तथा मौखिक साक्ष्य में गवाह पीडब्ल्यू–1 रामनिवास, पीडब्ल्यू–2 मालाराम, पीडब्ल्यू–3 भाताराम को परीक्षित करवाया गया। उक्त सभी गवाहान ने दानपत्र प्रदर्श–4 को ताईद किया तथा प्रतिवादीगण की ओर से गवाहान के रूप में श्रीराम का शपथ पत्र पेश किया गया लेकिन उसके बाद उक्त श्रीराम जिरह हेतू उपस्थित नहीं आये एवं साक्ष्य प्रतिवादी बन्द किये गये। इस प्रकार प्रतिवादीगण की ओर से अपने जवाब दावा के समर्थन में कोई भी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किये गये। दानपत्र प्रदर्श–4 के अनुसार भूमि गत खसरा नम्बर 1122, 1123, 1369 कुल रकबा 34 बीघा 9 बिश्वा रूड़ाराम, भागीरथ, उगमाराम को पंजीकृत दानपत्र दिनांक 12.09.1975 के द्वारा दी गई तथा जमाबंदी संवत 2033–2036 प्रदर्श–1 अनुसार यह भूमि दानदाता महासिंह जिसका जमाबंदी में नाम महाबक्श दर्ज है उसके नाम खातेदारी में है। यहां यह तथ्य दोनों पक्षों की ओर से स्वीकृत है कि महासिंह ही महाबक्श है क्योंकि प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा में उक्त महासिंह का उत्तराधिकारी होना बताया है अर्थात अपने जवाब दावा में यह आपत्ति नहीं दी है कि महासिंह जिसको महासुख उर्फ महाराम भी दर्ज किया गया है वह कोई दूसरा व्यक्ति है अर्थात महासुख, महाबक्श, महाराम एक ही व्यक्ति है। जमाबंदी प्रदर्श–1 के अनुसार खातेदार ने अपनी खातेदारी की भूमि पंजीकृत दान पत्र के द्वारा वादीगण के हकपूर्वाधिकारी को दान दी है एवं दानपत्र प्रदर्श–4 के अनुसार दान ग्रहिता को कब्जा भी उसी समय करवा दिया गया है। इस प्रकार वादीगण दिनांक 12.9.1975 को ही दानपत्र पंजीकृत होने व कब्जा प्राप्त करने से इस भूमि के खातेदार हो चुके है। जमाबंदी में दानदाता के नाम भूल व

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

गलती से दर्ज रहा है इससे किसी अन्य व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। उसके वाद यदि महासिंह उर्फ महाबक्श का कोई वारिस बनता है उसके स्थान पर अपना नाम खातेदारी में दर्ज करवा लिया है तो उसके आधार पर उनको कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है अर्थात जमाबंदी प्रदर्श–5 के.अनुसार नामांतकरण सं. 454 महाबक्श के स्थान पर केसरी वगैरहा प्रतिवादीगण के नाम जो दर्ज किया गया है वह कानून की नजर में शुन्य एवं प्रभावहीन है उससे प्रतिवादीगण को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। साथ ही प्रतिवादीगण सं. 10 जयराम व प्रतिवादी सं. 9 माली के वारिसान ने न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.04.2012 को राजीनामा पेश किया एवं इस भूमि में उनका कोई हिस्सा नहीं होना एवं उनका नाम हटाया जाने का निवेदन किया तथा वादीगण के हकपूर्वाधिकारी के पक्ष में दानपत्र पंजीकृत होना स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वर्णित भूमि वादीगण की साबित है साथ ही प्रतिवादीगण सं. 11 व 12 ने अपने जवाब दावा में वाद वर्णित भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 का कब्जा होना वर्णित किया है जबकि दिनांक 21.03.2012 को अपने हक में विक्रय पत्र पंजीकृत करवाना उल्लेखित किया है एवं दिनांक 16.05.2013 को प्रस्तुत जवाब दावे में खुद का कब्जा होना नहीं बताया है। प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 8 का कब्जा जवाब दावा के खण्ड नम्बर 4 व खण्ड नम्बर 10 में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 का कब्जा बताया है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 11 व 12 ने वाद वर्णित भूमि का अभी कब्जा प्राप्त नहीं किया है क्योंकि विक्रेताओं का स्वयं का कब्जा नहीं था एवं वादीगण दानपत्र पंजीकृत होने व कब्जा प्राप्त करने के दिन ही खातेदार बन गये थे उसके बाद की सभी प्रविष्टियां कानून की नजर में शुन्य है एवं गलत प्रविष्टियां के आधार पर पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 21.03.2012 कानून की नजर में शुन्य व प्रभावहीन है जिससे प्रतिवादीगण सं. 11 व 12 को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है तथा नामांतकरण सं. 454 भी शुन्य एवं निष्प्रभावी होने से प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 10 को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होत है। वादीगण के हक में पंजीकृत दानपत्र जो दिनांक 12.09.75 को पंजीकृत हआ है वादीगण उसी दिन इस भूमि के खातेदार बन गये थे, राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टि करना राजस्व कर्मचारियों का दायित्व है केवल उक्त दानपत्र के आधार पर नामांतकरण दर्ज नहीं होने से कानूनी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना ही कानून में पंजीकृत

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

दस्तावेज के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाने हेतु कोई मियाद निर्धारित है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिकसे आधार पर यह माना जा सके कि वाद वर्णित भूमि पर प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 8 का कब्जा है। प्रतिवादी सं. 11 व 12 जिन्होंने इस भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 21.03.2012 को पंजीकृत करवाया है जिसमें क्रेतागण अर्थात प्रतिवादी सं. 11 व 12 को कब्जा दिया जाना वर्णित किया है अर्थात प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 द्वारा कब्जा प्रतिवादी सं. 11 व 12 को दिया जाना उल्लेखित किया है लेकिन प्रतिवादी सं. 11 व 12 ने अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा दिनांक 16.05.2013 में अपना कब्जा होना वर्णित नहीं किया गया है अर्थात प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 का ही कब्जा होना बताया है इससे यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 का कब्जा नहीं था तथा उन्होंने प्रतिवादी सं. 11 व 12 को कब्जा नहीं दिया है। इससे यह स्पष्ट है कि वादीगण का इस भूमि पर सन 1975 से कब्जा है इसलिए जब इस भूमि कब्जा ही उनका है तो उन्हें कब्जा प्राप्ति के पारिणामिक अनुतोष की मांग करना कतई आवश्यकता नहीं है इसलिए तनकी संख्या 3 को साबित करने में प्रतिवादीगण असफल रहे है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 1582 रकबा 4.14 है., खसरा नम्बर 1599 रकबा 0.04 है. गैर मुमकिन कुआ, खसरा नम्बर 1600 रकबा 4.34 है., खसरा नम्बर 2250/1569 रकबा 0.20 है. सरहद राजस्व ग्राम बड़ाऊ तहसील खेतड़ी में स्थित है। उक्त जमीन के बाबत रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 9 ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणार्थ इस आशय का पेश किया कि उक्त जमीन महाबक्स उर्फ महासुख की थी उसने अपनी बहिन मनभरी के तीन पुत्र रूड़ाराम व भागीरथ तथा उगमाराम उर्फ गुलाराम के हक में बहिस्सा बराबर दिनांक 12.09.1975 को दान कर दिया। इस कारण रामनिवास के वारिसान रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 6 को 1/3 हक हिस्से का तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 7 को 1/3 हक हिस्से का तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 8

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

व 9 को संयुक्त रूप से 1/3 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विवाद की विषयवस्तु यह है कि दिनांक 12.09.1975 को मूल खातेदार महाबक्साराम द्वारा स्वयं की खातेदारी की भूमि का दानपंत्र वादीगण के पक्ष में निष्पादित कर दिया था। इस दानपत्र का नामान्तकरण दर्ज नहीं किया गया है अपितु महाबक्साराम की विरासत का नामान्तकरण दर्ज किया गया है। विरासत के आधार पर दर्ज खातेदारी के आधार पर प्रतिवादीगण के नाम दिनांक 21.03.2012 को विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण दिनांक 12.09.75 के दानपत्र के आधार पर खातेदारी उद्घोषणा क्लेम करके आये है। इसके विपरित प्रतिवादीगण विरासत के नामान्तकरण, पंजीकृत विक्रय पत्र एवं कब्जे के आधार पर विवादित भूमि पर क्लेम करते है। विचारण न्यायालय ने इन मुख्य विवाद बिन्दुओं पर कोई तनकी कायम नहीं की है।

विचारण न्यायालय द्वारा दानपत्र के विधिक प्रभाव, विक्रय पत्र के विधिक प्रभाव, विरासत के नामांतकरण की विधि मान्यता एवं विवादित भूमि पर कब्जे की विधिक स्थिति के संदर्भ में किसी प्रकार की तनकी कायम नहीं की गई है। इन विवाद बिन्दुओं पर साक्ष्य प्राप्त कर सुनवाई किये बिना पक्षकारों के मध्य विवाद का विधि सम्मत निस्तारण संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचनानुसार तनकीयात कायम कर, साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में विधिक बिन्दुओं पर गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.11.2025 को उपस्थिति देवें।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 24/10/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (झुन्झुनूं)